

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक- 691

/5-3 दिनांक, मथुरा, 20 सितम्बर 2016.

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

मथुरा वन प्रभाग, मथुरा में आउट सोर्सिंग (सेवा प्रदाता) ठेका पद्धति के आधार पर निम्नलिखित मात्रा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक एवं पौधशाला सुरक्षा श्रमिक का कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 30.09.2016 को सायं 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पते (प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा, फोरेस्ट कॉलौनी स्वर्ग मार्ग, मथुरा पिन कोड नं०-281001) पर पर्जीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से समस्त आउट सोर्सिंग (सेवा प्रदाता) प्रतिष्ठानों से कार्यों की पारिश्रमिक दरों को प्राप्त किये जाने हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन सायं 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

2016 वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक	-	40 श्रमिक अनुमानित (माह अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक 6 माह हेतु।
2015 वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक	-	25 श्रमिक अनुमानित (माह अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक 6 माह हेतु।
पौध शाला सुरक्षा श्रमिक	-	09 श्रमिक अनुमानित (माह अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक 6 माह हेतु।
कम्प्यूटर आपरेटर	-	02 श्रमिक अनुमानित (माह अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक 6 माह हेतु।
कैम्प खल्लासी	-	02 श्रमिक अनुमानित (माह अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक 6 माह हेतु।

निविदा हेतु जमानत रू० 25000.00 (रू० पच्चीस हजार) अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक कराना अनिवार्य है। कार्य की मात्रा (श्रमिकों व माहों की संख्या) आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। किसी भी/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

निविदा सम्बंधी जानकारी, शर्तें एवं निविदा प्रपत्र रू० (300.00+100) एवं वाणिज्य कर का भुगतान कर इस कार्यालय से दिनांक 21.09.2016 से 28.09.2016 तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता की फर्म सम्बंधित विभाग/श्रम विभाग में पर्जीकृत होनी चाहिये।
2. निविदा सील्ड लिफाफे में पर्जीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व ही प्राप्त हो जानी चाहिये।
3. समस्त देय करों का भुगतान निविदादाता को करना होगा। भुगतान के समय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के जो भी कर लागू हों, उनकी कटौती भुगतान में से काट कर तत्संबंधी लेखा शीर्षक में विभाग द्वारा जमा की जायेगी।
4. निविदादाता द्वारा दी गई दरें अनुमोदन होने के उपरान्त दिनांक 31-3-2017 तक मान्य होंगी।
5. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. निविदादाता को अपना पैन नम्बर निविदा में अंकित करना होगा।
7. निविदादाता को वयस्क, स्वस्थ एवं साईकिल चलाने में दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता करानी होगी। प्रत्येक श्रमिक के पास साईकिल होना अनिवार्य है।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा का निर्णय अन्तिम होगा।
9. उपलब्ध कराये गये श्रमिक किसी भी अपराध/वन अपराध/वन्य जीव अपराध/असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होने चाहिये।
10. निविदादाता को प्रत्येक श्रमिक को उसका फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराना होगा।
11. बन्धक धनराशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। बन्धक धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक होनी चाहिये।
12. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को रू० 100.00 के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तैयार अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।
13. श्रमिकों की पारिश्रमिक की दरें वर्तमान नियमों के अनुसार प्रतिदिन रू० 174.00 (समस्त करों सहित) अधिकतम होगी। इससे अधिक प्रतिदिन पारिश्रमिक की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
14. उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिकों एवं माहों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
15. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये, किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी समय किसी भी पूर्व सूचना के श्रमिक को कार्य से पृथक किया जा सकता है।
16. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक द्वारा इस विभाग में समायोजित किये जाने का दावा नहीं किया जायेगा।
17. सेवा प्रदाता एजेन्सी के प्रायोजित श्रमिक द्वारा इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अथवा संविदा श्रमिक एक्ट 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग में सेवा संबंधी किसी प्रकार का लाभ/अनुकम्पा/समायोजन/विनियमितीकरण का दावा नहीं किया जायेगा। कार्य के समय श्रमिक को दुर्घटना ग्रस्त होने पर विभाग द्वारा कोई भी क्षतिपूर्ति संबंधी श्रमिक अथवा उस पर आश्रित को नहीं की जायेगी। श्रमिक को सामुहिक बीमा कराने की जिम्मेदारी सेवा प्रादाता एजेन्सी की होगी।

18. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक द्वारा कार्यालय में संबंधी कार्य के संचालन, तकनीकी कार्य पद्धति, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रशासनिक/संगठनात्मक मामलों में उसकी गोपनीयता एवं निजता से संबंधित जानकारी, जो विभाग की बौद्धिक सम्पत्ति है, की कोई जानकारी प्रकट नहीं की जायेगी।
19. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक को समयबद्ध, मृदुभाषी, शिष्ट, स्पष्टवादी तथा दिये गये कार्यों में दक्ष होना चाहिए। श्रमिक द्वारा की गयी कोई भी उदण्डता के लिये सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा।
20. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक द्वारा विभाग के कर्मचारियों के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी।
21. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक को उसके अयोग्य होने तथा खराब बरताव करने के कारण यदि हटाने को कहा जायेगा, तो उक्त प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करना होगा।
22. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक अच्छा आचरण रखेगा, मादक द्रव्यपान, धूमपान आदि का प्रयोग नहीं करेगा।
23. सेवा प्रदाता एजेन्सी श्रमिक के अचानक कार्य छोड़ने की संभावना के दृष्टिगत प्रतिस्थानी की अग्रिम व्यवस्था रखनी होगी। प्रतिस्थानी श्रमिक के देयकों की भी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी।
24. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक के साथ अथवा उस श्रमिक द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान, दुर्घटना, चोरी, वाहन चोरी आदि के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
25. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक की लापरवाही के कारण विभाग को यदि किसी प्रकार की क्षति/नुकसान होता है, तो सेवा प्रदाता एजेन्सी को उक्त नुकसान की भरपायी करनी होगी।

(एस0के0शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक: 691 /5-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और विभागध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0 उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया निविदा सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा ।
5. वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा ।
6. जिलाधिकारी, मथुरा ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा ।
8. जिला सेवा योजन अधिकारी, मथुरा ।
9. समस्त प्रभागीय निदेशक, आगरा वृत्त, आगरा ।
10. जिला सूचना अधिकारी, मथुरा ।
11. एन0आई0सी0 कलकट्रेट मथुरा को इस निविदा को जनपद मथुरा की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
12. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा ।
13. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।
14. प्रभागीय नोटिस बोर्ड हेतु।

(एस0के0शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।